न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं जिला जयपुर

मु.न. 261/2014

उनवान

रामनारायण पुत्र श्री श्योनाथ, जाति खारवाल, निवासी ग्राम बावडी गोपीनाथ, तहसील चौमूं जिला जयपुर, राजस्थान।

—वादीगण

बनाम

1. कल्याण पुत्र छोटू
2. सुवा पुत्र छोटू
3. बाबुलाल दत्तक पुत्र कल्याण
4. जगदीश पुत्र सुवा
5. हरिनारायण पुत्र सुवा
6. उमराव पुत्र सुवा
   समस्त जाति खारवाल, निवासी ग्राम बावडी गोपीनाथ, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
7. रामचन्द्र पुत्र धींसा, जाति जाट, निवासी ग्राम बावड़ी गोपीनाथ, तन गौरी का बास, तहसील चौमूं।
8. गुलाबचन्द यादव पुत्र नामालूम, जाति अहीर, निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा</u>

निर्णय दिनांक:– 28.11.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने वाद में निवेदन किया है कि वादी वाके ग्राम बावडी गोपीनाथ तहसील चौमूं जिला जयपुर का काश्तकार पेशा व्यक्ति है जो काश्तकार अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है।

वादी ग्राम बावडी गोपीनाथ, पटवार हलका मण्डा भिण्डा, भू0अ0नि0 कालाडेरा तहसील चौमूं में स्थित खाता संख्या नया 29 के हाल खसरा नम्बर 788/5 रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 788/944/3 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 797/3 रकबा 0.34 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.91 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात ही वाद हाजा में विवादित है जिसको वाद पत्र के अग्रिम मदों में भूमि विवादग्रस्त कहा गया है। उक्त भूमि वादी की एकमात्र तन्हा खातेदारी भूमि है जिस पर वादी बतौर खातेदार काबिज काश्त होकर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। भूमि विवादग्रस्त में प्राकृतिक व खुदरा पैदावार का फायदा उठाता चला आ रहा है उक्त भूमि वादी की खातेदारी भूमि है जो कि अन्य भूमियों के तकासमा होने पर वादी के हक हिस्से में आई है। विवादित भूमि पर वादी मौके पर बतौर मालिक स्वामी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है इसलिए वादी को विवादित भूमि के बाबत् उक्त वाद प्रस्तुत करने का पूर्ण विधिक हक व अधिकार प्राप्त है।

प्रतिवादीगण संख्या 1,2 व 7 भूमि विवादग्रस्त के पडौसी काश्तकार एवं पडौसी व्यक्ति है जिनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 799, 800, 798 है तथा शेष प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 व 8 प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 7 के सहयोगी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 का वादग्रस्त आराजीयात् से कोई किसी प्रकार का लेना–देना हक सम्बन्ध, सरोकार नही है व आये दिन वादग्रस्त भूमि की सींव डोल में तोड फोड करने पर आमादा रहते है तथा मना करने पर लडाई–झगडा करते रहते है।

Scanned by CamScanner

वादी विवादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहा है तथा मौके पर वादी का ही कब्जा काश्त है एवं वादग्रस्त भूमि में पेड पौधे लगे हुए है प्रतिवादीगण का कोई लेना देना भूमि विवादाग्रस्त से नहीं है वे मात्र भूमि विवादग्रस्त के पडौसी काश्तकार है जिसका नाजायज फायदा उठाने की गरज से ही वे विवादग्रस्त आराजीयात् की सींव डोल को तोंडफोड कर भूमि विवादग्रस्त को अपनी भूमि में मिलाने पर आमादा रहते है जिसकी की प्रतिवादीगण को कोई कानूनी हक व अधिकार हासिल नही है। वादी द्वारा कई मर्तबा प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 7 को भूमियों के मध्य की सीमा का सीमाज्ञान करवाने करवाने बावत् निवेदन किया जा चुका है परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 वादी की भूमि की सीमाओं के साथ छेडछाड कर स्वयं की भूमि में मिला लेने पर आमादा हो रहे है, तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 द्वारा मिलीभगत पूर्वक प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 7 की खातेदारी भूमियों को भूखण्डों के रूप में विभक्त किया जा रहा है जिसमें वादी की भूमि की सीमाओं को शामील कर लिया गया है तथा जबरिया उसमें भूखण्डों का बेचान हस्तानान्तरण करने पर आमादा हो रहे है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 जो कि संख्या बल एवं बाहुबल में अधिक है जो आये दिन वादग्रस्त आराजीयात् की सींव डोल से छेडछाड करते रहते है। दिनांक 20.09.2014 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 एकराय होकर भूमि विवादग्रस्त पर आये तथा भूमि विवादग्रस्त की सींव डोल में तोड फोड करने लगे, तथा वादी की भूमि की पूर्वी सीमाओं के साथ छेडछाड करने लगें, जब वादी ने तोड फोड करने का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 ने कहा कि हम भूमि विवादग्रस्त की सींव डोल को तोड कर भूमि विवादग्रस्त को अपनी भूमि में मिलायेंगे तथा जबरिया बिना सीमाज्ञान करवायें भूखण्डों के रूप में विभक्त कर बेचान कर देंगे, तथा विधि विरूद्ध तरीके से निमार्ण कार्य करके रहेगें, जिस पर वादी ने कहा की ये भूमि तो हमारी स्वयं की कब्जे काश्त की भूमि है जो कि तकासमा में वादी के हक हिस्से में आई है, जिस पर प्रतिवादीगण उग्र हो गये तथा ऐलानियां धमकी दी की वे अतिशीघ्र पडौसी हाने का नाजायज फायदा उठाते हुए भूमि विवादग्रस्त की सींव डोल को तोड फोड कर भूमि को अपनी भूमि में मिला लेंगे तथा मौके पर मौके पर विधि विरूद्ध तरीके से पुख्ता निर्माण कार्य कर भूमि को अपनी भूमि में मिला लेगें तथा मौके पर पुख्ता निर्माण कार्य करके रहेंगे व पुख्ता निर्माण कर उक्त भूमि को भू–माफिया लोगों को बेचान करेंगे तथा वादी को उनके उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी करके रहेंगे तथा अपने पशुओं को भूमि विवादग्रस्त में जबरिया प्रवेश करवाकर वादी द्वारा बोई फसल, नष्ट–भ्रष्ट करवा देगे, इसलिए वादी को यह वाद पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है।

प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के इस कदर पाबन्ध फरमाया जावे की प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 भूमि विवादग्रस्त के वादी के उपयोग उपभोग में उपजों को प्राप्त करने में, कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें, ना ही भूमि विवादग्रस्त की सींव डोल में कोई तोड फोड करें, ना ही भूमि विवादग्रस्त की सींव डोल में कोई तोड फोड करें, ना ही भूमि विवादग्रस्त में जबरिया कोई निर्माण कार्य करें, ना ही निर्माण सामग्री डाले, ना ही भूमि विवादग्रस्त की सींव डोल को तोड फोड कर भूमि विवादग्रस्त को अपनी भूमि में मिलावें, ना ही पशुओं को प्रवेश करवाकर वादी की काश्त की फसल को नष्ट–भ्रष्ट करवायें, ना ही भूमि विवादग्रस्त पर अवैध रूप से कब्जा कर किसी दीगर व्यक्ति को बैचान करें, ना ही भूमि विवादग्रस्त में खड्डें, नींव आदि खोदे , ना ही वादी के रास्ते को अवरूद्ध या बन्द करें, ना ही पेडों की छंगाई कर छडियों को लेकर जावें, तथा प्रतिवादी संख्या 9 दौरान वाद उक्त विवादग्रस्त सम्पति की यथास्थिति बनाये रखने हेतु सम्बन्धित कर्मचारी को आदेशित करें, उपरोक्त समस्त कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन आदि के जरिये करवायें, अर्थात प्रतिवादीगण विवादग्रस्त भूमि की मौके की वर्तमान स्थिति यथावत बनाये रखें।

Scanned by CamScanner

वादीगण के वाद पत्र पेश करने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकलन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार वादीगण विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभेग के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि खाता संख्या नया 29 के हाल खसरा नम्बर 788/5 रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 788/944/3 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 797/3 रकबा 0.34 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.91 है0 ग्राम बावडी गोपीनाथ, पटवार हलका मण्डा भिण्डा, भू0अ0नि0 कालाडेरा तहसील चौमूं का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– हिम्मत सिंह (R.A.S)

मुकदमा नम्बर :– 261/2014

उनवान

रामनारायण पुत्र श्री श्योनाथ, जाति खारवाल, निवासी ग्राम बावडी गोपीनाथ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर, राजस्थान।

––वादीगण

बनाम

1. कल्याण पुत्र छोटू
2. सुवा पुत्र छोटू
3. बाबुलाल दत्तक पुत्र कल्याण
4. जगदीश पुत्र सुवा
5. हरिनारायण पुत्र सुवा
6. उमराव पुत्र सुवा
   समस्त जाति खारवाल, निवासी ग्राम बावडी गोपीनाथ, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
7. रामचन्द्र पुत्र घींसा, जाति जाट, निवासी ग्राम बावड़ी गोपीनाथ, तन गौरी का बास, तहसील चौमूं।
8. गुलाबचन्द यादव पुत्र नामालूम, जाति अहीर, निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

––प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिनजामिन मुददई रूबरू हिम्मत सिंह आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि खाता संख्या नया 29 के हाल खसरा नम्बर 788/5 रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 788/944/3 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 797/3 रकबा 0.34 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.91 है0 ग्राम बावडी गोपीनाथ, पटवार हलका मण्डा भिण्डा, भू0अ0नि0 कालाडेरा तहसील चौमूं का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर खुले न्यायालय मे आज तारीख 28.11.2019 को जारी किया गया।

मोहर

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मुदई	रुपये	पैसे	मुदाईला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नाना	1		स्टाम्प वकालत नाना	2	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनाना		
बाबत इजराय हुक्मनाना			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	2	

नोट:– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.02.29 15:14:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: